कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र., भोपाल 306 व्याण्य) २०४६ पंजी क्रमांक.....

विषय :	न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू.पी. क. 1662/16 (एस) . २१७१वती नि
	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक / प्राचार्य उन्हें निश्हा क्या कि याचिका प्राप्त याचिका का संबंध की कि
1 TO SHY	प्रकरण में द्वारी क्या जान हैं कृपया अनुमोदन करना चाहे साथ ही यदि
	प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश की स्वच्छ प्रतियों पर हरताक्षर करना
4045	ynut situated (12/07)
आयुक्त/स	किर्ण निर्मा निर
वि.क.अ.(न्य	
	9/03/16
m 0	(UTIDA 941-3 486-487)
W-	9-3-70/6

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल 306 राजा ग्री

विषय : न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू पी. क्र 1662/16 (एस) २ 151 वर्ग	
सिवव मध्यप्रदेश शासन उ.शि. विभाग के आदेश क्रमांक 48 4 8 7 दिनांक 9-3 न्छ। में अतिरिक्त संचालक / प्रमार्थ उन्ज निश्चे) अवीरिक्य	Sa
किया जा बुका है। कृपया प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हतु नस्ती विधि विभाग की ओर अंकित करना चाहें। अंकित करना चाहें।	84 21376 213116
आयुक्त / समिव महोदय	8.
स्थित / आयुक्त स्थित / आयुक्त म.प्र. स्थान, उन्ह शिक्षा विभाव 22	5 1.0
	496)
V. C.	- 100/15

(171

IN THE HIGH COURT OF MADHAYA PRADESH BENCH AT GWALIOR

W.P. NO. 166 2-/2016

PETITIONER

Rajwatt Kinar Dio Shri Mahendra Singh

Versus

RESPONDENTS

The State of M.P. & others

LIST OF EVENTS

DATES	PARTICULARS	ANNEXURES
2007	Petitioner completed her post graduation in Hindi Literature with 426 marks out of 800, (i.e. 53.5 %).	,
2015	University Grant commission conducted the National Eligibility Test (NET). Considering the Backwardness and other constrains of the OBC candidates, the minimum eligibility criteria which was 55% for General was relaxed by 5%. And 50% minimum marks in post graduation was fixed for SC/ST/OBC candidates to appear in NET Exam. Petrisoner as an OBC candidate, appeared and	1-7 3
19-02-2016	qualified the NET Exam for being eligible for the appointment to the post of Assistant Professor. The Respondents issued the impugned advertisement to fill the sarctioned vacant post of the Assistant professor wherein the General and OBC candidates are treated at par and the benefit of 5% relaxation has not been extended to the OBC candidate/ petitioner. Hence Petition.	

Date: - 01-03-2016 Gwalior SIGNATURE OF PETITIONER THROUGH COUNSEL:

(NARENDRA SINGH KIRAR) Advocate

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विमाग. मंत्रालय

कमांक 486/306/ न्या व पुर) 2016 सिविल प्रक्रिया संहिता 1990 (1908 का अधिकतम संख्या-5) के आदेश सत्ताईस नियम-1 तथा -1 अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए 4-11/19 को याचिका कर्मांक ८०६ प्रिमी (पक्षकारों के नाम) - राज्यकारों के नाम)

के मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसके और से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनांक पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा इन्हें सत्यापित करने के लिये कार्य करने आवेदन करने और उप संजात होने के लिये नियुक्त करते हैं, प्रभारी अधिकारी को आदेश दिया जाता है, कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिवत वह अपनी नियुक्ति तुरन्त पश्चात् वादों में ऐसी स्थिति में जिसके ब्यौरें नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा की, आवश्यकता हो, और याधिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि नानले के संचालन में विधिक/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचेगी, रिपीर्ट तैयार करेगा । यदि किसी प्रकम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया हो तो उसे विभाग की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किया जायेगा ।

- समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा । 2/
- उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा ।
- शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित / कथन उत्तर तैयार करवाएगा ।
- महत्वपूर्ण / नीतिगत प्रकरणों में तैयार किये गये लिखित / कथन या उत्तर विभागीय / प्रशासकीय अनुमोदन हेतु निम्नानुसार भेजेगा:-
- वाद / पत्र की एक प्रति के साथ प्रकरण तथा लिखित कथन की संक्षेपिका ।
- उन सभी दस्तावेजों की सूची तथा प्रतिलिपि जिन्हें साध्य स्वरूप न्यायालय के समक्ष
- मामले विश्दीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियों में वाद की तारीख भी प्रस्तुत किया जाना है । वर्णित होनी चाहिये ।
- 6/ मामले की तैयारी और संचालन में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले के प्रकम और संबंधित नियमों में किये परिवर्तन से स्वयं को सदैव अवगत रखेगा ।
- 7/ जब भी कोई आदेश/निर्णय दिशिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता हैं। विधि विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को सूचित करना तथा उसकी एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करेगा ।
- ट/ अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही करने के लिये इस विभाग को भेजेगा ।

9/ यह देखना कि आवेदन करने, प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करनें ,रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में अनावश्यक समय नष्ट न हों।

10/ जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता हैं. वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा । वह वर्तमान पद भार देने के पश्चात् भी तथ तक प्रभारी आधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है ।

प्रभारी अधिकारी मामलों को तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर संभव मद्द /सहयोग करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि वाद के लिये उत्तरदायी कोई महत्वपूर्ण तथ्यात्मक दस्तावेज अप्रकटित नहीं रह जावे ।

महत्वपूर्ण / नीतिगत मामलों में निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा । 12/

13/ जिन प्रकरणों में माननीय मुख्य सचिव, को पक्षकार बनाया गया हैं, ऐसे मानलों में माननीय मुख्य सचिव, का नाम विलोपित करने हेतु न्यायालय के समक्ष शीघातिशीघ आवेदन दायर कर विलोपित करवायें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

। मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विनाग

487/ उशिवि/ मंत्रालय / न्याप्र 2016 मोपाल, दिनांक 9 3-2016

1/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय म०प्र० जवलपुर/कर्तार/ग्वालियर संभाग म.प्र. की ओर । 2/ प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन विधि और केपणी उर्जा कि

प्रमुख सचिवः मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्ज विभाग विध्याचल भवन भोपाल

3/ संबंधित जिल्पाध्यक्ष जुनात्म् । १/ द्वार्गात्म स्थापन्त्र प्राप्ति । साथ ही शासकीय अधिवक्ता से सम्बंध करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्राप्ति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्त से आ ं की कार्यधाही के लिये सलाह करने और मानलें में अपनी प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैवं ही भेजना चाहिये वाद पत्र की प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जायें, मामले की सुनवाई की तारीख.....

5/ धेन्रीय अतिरिक्त संघालक. उच्च शिक्षा की ओर जूचनार्थ एवं आदश्यक कार्यवाही हेतु ।

NO THE WAY STORY THE WAY AND THE

SHIP WAS FRIDE & SHIP OF

A DEST OF THE PER PER PER PER

मध्यप्रदेश शासन, उच र् मंत्रालय, मीपाल

1280